पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 38)

[25 जून, 2002]

पेटेन्ट अधिनियम, 1970
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2002 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

''उच्च न्यायालय'' और ''न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन।

1970 का 39

2. पेटेंट अधिनियम, 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 21, धारा 43 और धारा 71 में आने वाले ''उच्च न्यायालय'' शब्दों, जहां-जहां वे आते हैं, और धारा 21 और धारा 71 में आने वाले ''न्यायालय'' शब्द के स्थान पर, क्रमश: ''अपील बोर्ड'' और ''बोर्ड'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(क) ''अपील बोर्ड'' से धारा 116 में निर्दिष्ट अपील बोर्ड अभिप्रेत है;

(कख) ''समनुदेशिती'' के अंतर्गत समनुदेशिती का समनुदेशिती और मृत समनुदेशिती का विधिक प्रतिनिधि भी है और किसी व्यक्ति के समनुदेशिती के प्रति निर्देशों के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के समनुदेशिती या उस व्यक्ति के समनुदेशिती के प्रति निर्देश भी हैं;

(कग) किसी आविष्कार के संबंध में ''औद्योगिक उपयोजन के लिए समर्थ'' से यह अभिप्रेत है कि उक्त आविष्कार किसी उद्योग में किए जाने या उपयोग किए जाने के लिए समर्थ है;';

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(घ) ''कन्वेंशन देश'' से धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन कन्वेंशन देश के रूप में अधिसूचित कोई देश या ऐसा कोई देश जो देशों के किसी समूह या देशों के किसी संघ का सदस्य है अथवा अंतर-शासनात्मक संगठन अभिप्रेत है;';

(ग) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(छ) ''खाद्य'' से मानव उपभोग के लिए पोषाहार की कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई पदार्थ भी है जो शिशुओं, अशक्त या स्वास्थ्य लाभ करने वाले व्यक्तियों द्वारा खाद्य या पेय वस्तु के रूप में उपयोग के लिए आशयित है;';

(घ) खंड (झ) में,—

(i) उपखंड (i) में, ''दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, ''राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ii) अरुणाचल प्रदेश राज्य और मिजोरम राज्य के संबंध में गुवाहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय);'';

(iii) उपखंड (v) में, ''गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, ''गोवा राज्य, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र'' शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(झक) ''अंतरराष्ट्रीय आवेदन'' से पेटेन्ट सहयोग संधि के अनुसार पेटेंट के लिए किया गया आवेदन अभिप्रेत है;';

(च) खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ञ) ''आविष्कार'' से ऐसा नया उत्पाद या प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें आविष्कार संबंधी कोई कार्रवाई अंतर्वलित है और जो औद्योगिक उपयोजन के लिए समर्थ है;

(ञक) ''आविष्कार संबंधी कार्रवाई'' से ऐसा अभिलक्षण अभिप्रेत है जो ऐसा आविष्कार करता है जो कला में कुशल व्यक्ति के लिए स्पष्ट नहीं है;';

(छ) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ड) ''पेटेंट'' से इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त पेटेंट अभिप्रेत है;';

(ज) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(णक) ''पेटेंट सहयोग संधि'' से 19 जून, 1970 को वाशिंगटन में की गई और समय-समय पर यथा संशोधित और उपांतरित पेटेंट सहयोग संधि अभिप्रेत है;';

(झ) खंड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(प) ''विहित'' से अभिप्रेत है,—

(अ) उच्च न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियों के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(आ) अपील बोर्ड के समक्ष की कार्यवाहियों के संबंध में, अपील बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित; और

(इ)अन्य मामलों में, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।'।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) आविष्कार जिसका प्राथमिक या आशयित उपयोग अथवा वाणिज्यिक समुपयोजन लोक व्यवस्था या नैतिकता के प्रतिकूल होगा या जो मानव, पशु अथवा पौधों के जीवन या स्वास्थ्य या पर्यावरण पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है;'';

(ख) खंड (ग) में, ''अमूर्त सिद्धांत को सूत्रित करना'' शब्दों के पश्चात्, ''अथवा प्रकृति में विद्यमान किसी मूर्त चीज या अमूर्त पदार्थ की खोज करना'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (छ) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (झ) में,—

(i) ''रोगनिरोधी'' शब्द के पश्चात् ''नैदानिक रोगोपचारी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) ''या पौधों'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ङ) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ञ) सूक्ष्मजीवों से भिन्न संपूर्ण पौधे और पशु या उनके कोई भाग, किंतु उनके अंतर्गत बीज, किस्म और जाति तथा पौधों और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन के लिए अनिवार्य रूप से जैव प्रक्रिया भी है;

(ट) गणितीय या कारबार पद्धति अथवा स्वत: कम्प्यूटर प्रोग्राम या कलन विधि;

(ठ) साहित्यिक, नाटकीय, संगीतात्मक अथवा कलात्मक कृति या किसी प्रकार का कोई अन्य सौन्दर्य विषयक सृजन, जिसके अंतर्गत चलचित्र संबंधी कृतियां और टेलीविजन प्रस्तुति भी हैं;

(ड) मानसिक प्रदर्शन करने की मात्र स्कीम या नियम या ढंग अथवा खेल खेलने का ढंग;

(ढ) सूचना का प्रस्तुतिकरण;

(ण) एकीकृत सर्किट का स्थान वर्णन;

(त) कोई आविष्कार जो वस्तुत: पारंपरिक ज्ञान है या जो पारंपरिक रूप से ज्ञात संघटक या संघटकों के ज्ञात गुण का संकलन या पुनरावृत्ति है।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 5 का संशोधन।

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''रासायनिक प्रक्रियाओं'' के अंतर्गत ''जैव रासायनिक, जैव प्रौद्योगिक और सूक्ष्म जैव प्रक्रिया'' भी है।'।

धारा 7 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) यदि कोई तत्समान आवेदन भारत में नियंत्रक के समक्ष भी फाइल किया गया है तो पेटेंट के लिए पेटेंट सहयोग संधि के अधीन प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय आवेदन, जो भारत को अभिहित करते हुए फाइल किया जाए, इस अधिनियम के अधीन आवेदन समझा जाएगा।"।

धारा 8 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में "वहां वह अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित फाइल करेगा," शब्दों के पश्चात् "या तत्पश्चात् ऐसी अवधि के भीतर जो नियंत्रक ठीक और पर्याप्त कारणों पर अनुज्ञात करें" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) ऐसा विवरण जिसमें ऐसे आवेदन की विस्तृत विशिष्टियां उपवर्णित हों; और";

(iii) खंड (ख) में, "पूर्वोक्त खंड में निर्दिष्ट प्रकृति के ब्यौरों की" शब्दों के स्थान पर "पूर्वोक्त खंड के अधीन यथा अपेक्षित विस्तृत विशिष्टियों की" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) नियंत्रक, भारत में पेटेंट के लिए आवेदन फाइल किए जाने के पश्चात् किसी समय और उस पर पेटेंट अनुदत्त किए जाने अथवा पेटेंट अनुदत्त किए जाने से इंकार किए जाने तक, आवेदक से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह भारत से बाहर किसी देश में आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में ऐसे ब्यौरे दे जो विहित किए जाएं, और उस हालत में आवेदक नियंत्रक को, जानकारी के ऐसे दिए जाने की अपेक्षा करने वाली संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो नियंत्रक ठीक और पर्याप्त कारणों के आधार पर अनुज्ञात करे, उसे उपलब्ध जानकारी देगा।"।

धारा 10 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) उपधारा (4) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) उसके साथ आविष्कार के बारे में तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संक्षिप्त सार होगा:

परंतु—

(i) नियंत्रक तीसरे पक्षकार को और अच्छी जानकारी देने के लिए संक्षिप्त सार का संशोधन कर सकेगा; और

(ii) यदि आवेदक विनिर्देश में किसी जैव पदार्थ का वर्णन करता है जिसे खंड (क) और खंड (ख) का समाधान करने के लिए इस रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और यदि ऐसा पदार्थ जनता के लिए उपलब्ध नहीं है तो आवेदन को, उक्त पदार्थ को ऐसी प्राधिकृत निक्षेपागार संस्था के पास, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, निक्षेपित करके तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात्, पूरा किया जाएगा, अर्थात्:—

(अ) पदार्थ का निक्षेप भारत में पेटेंट आवेदन की तारीख के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(आ) उसके लिए अपेक्षित उस पदार्थ के उपलब्ध सभी लक्षणों की जिनकी सही रूप से पहचान की जानी है या उन्हें उपदर्शित किया जाना है,

उपलब्ध सभी विशिष्टियां विनिर्देश में सम्मिलित हैं जिनके अन्तर्गत निक्षेपागार संस्था का नाम और पता तथा उस संस्था के पास पदार्थ के निक्षेप की तारीख तथा उनकी संख्या भी है;

(इ) निक्षेपागार संस्था में उक्त पदार्थ तक पहुंच भारत में पेटेंट के लिए आवेदन की तारीख के पश्चात् या यदि पूर्विकता का दावा किया जाता है तो पूर्विकता की तारीख के पश्चात् ही उपलब्ध है;

(ई) विनिर्देश में जैव पदार्थ के जब उसका किसी आविष्कार में उपयोग किया गया है, स्रोत और भौगोलिक मूल का प्रकटन।";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4क) भारत को अभिहित करने वाले अन्तरराष्ट्रीय आवेदन की दशा में,—

(i) आवेदन के साथ फाइल किए गए हक, वर्णन, रेखांकन, संक्षिप्त सार और दावे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्ण विनिर्देश के रूप में लिए जाएंगे; और

(ii) आवेदन और अभिहित कार्यालय या निर्वाचित कार्यालय के रूप में पेटेन्ट कार्यालय द्वारा किए गए इसके पूर्ण विनिर्देश फाइल करने की तारीख पेटेन्ट सहयोग संधि के अधीन दी गई फाइल करने की अन्तरराष्ट्रीय तारीख होगी;";

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) पूर्ण विनिर्देश का दावा या दावे एकल आविष्कार या उससे जुड़े हुए आविष्कारों के समूह से संबद्ध होंगे जिससे एकल आविष्कारिक संकल्पना की रचना हो सके, स्पष्ट और संक्षिप्त होंगे तथा विनिर्देश में प्रकट किए गए विषय पर निष्पक्ष रूप से आधारित होंगे।"।

अध्याय 4 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम के अध्याय 4 में,—

(क) अध्याय के शीर्षक "आवेदनों की परीक्षा" के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय-शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"आवेदनों का प्रकाशन और उनकी परीक्षा";

(ख) धारा 12 से पूर्व निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आवेदनों का प्रकाशन।

"11क. (1) पेटेन्टों के लिए आवेदन, फाइल किए जाने की तारीख या पूर्विकता की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, अठारह मास की अवधि तक जनता के लिए नहीं खोले जाएंगे।

(2) सिवाय तब के जब धारा 35 के अधीन गोपनीयता का निदेश दिया जाता है, पेटेन्ट के लिए प्रत्येक आवेदन, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, प्रकाशित किया जाएगा।

(3) पेटेन्ट के लिए प्रत्येक आवेदन का प्रकाशन राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

(4) उस दशा में, जिसमें धारा 35 के अधीन किसी आवेदन की बाबत गोपनीयता का कोई निदेश दिया गया है, वह अठारह मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अथवा जब गोपनीयता के निदेश का प्रवृत्त होना समाप्त हो गया है, जो भी पूर्ववर्ती हो, प्रकाशित किया जाएगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन के प्रकाशन के अन्तर्गत, आवेदन की तारीख, आवेदन संख्या, आवेदक के नाम और पते की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी जिनसे आवेदन और संक्षिप्त सार की पहचान हो।

(6) इस धारा के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन के प्रकाशन पर—

(क) निक्षेपागार संस्था विनिर्देश में वर्णित जैव पदार्थ जनता के लिए उपलब्ध कराएगी;

(ख) पेटेन्ट कार्यालय, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, ऐसे आवेदन के विनिर्देश और रेखांकनों को, यदि कोई हों, जनता को उपलब्ध करा सकेगा।

परीक्षा के लिए अनुरोध।

11ख. (1) पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की तब तक परीक्षा किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जब तक कि आवेदक या अन्य हितबद्ध व्यक्ति ने पेटेन्ट के लिए आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से अड़तालीस मास के भीतर ऐसी परीक्षा के लिए विहित रीति में अनुरोध न किया हो।

(2) पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व फाइल किए गए किसी आवेदन की दशा में, परीक्षा के लिए विहित प्ररूप में अनुरोध आवेदक या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रारंभ की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर या आवेदन की तारीख से अड़तालीस मास की अवधि के भीतर, जो भी बाद की हो, किया जाएगा।

(3) यदि धारा 5 की उपधारा (2) के अंतर्गत आने वाले किसी पेटेंट के लिए किसी दावे की बाबत कोई आवेदन फाइल किया जाता है तो आवेदक या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति द्वारा 31 दिसम्बर, 2004 से बारह मास की अवधि के भीतर या आवेदन की तारीख से अड़तालीस मास के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, परीक्षा के लिए विहित प्ररूप में अनुरोध किया जाएगा।

(4) उस दशा में, जिसमें आवेदक या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति पेटेन्ट के लिए आवेदन की परीक्षा के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुरोध नहीं करता है तो आवेदन आवेदक द्वारा वापस लिया गया समझा जाएगा:

परन्तु—

(i) आवेदक, आवेदन फाइल किए जाने के पश्चात् किन्तु पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने से पूर्व, किसी समय, उसके द्वारा किए गए आवेदन को वापस ले सकेगा; और

(ii) उस दशा में, जहां धारा 35 के अधीन गोपनीयता का निदेश दिया गया है, परीक्षा के लिए अनुरोध गोपनीयता के लिए निदेश के प्रतिसंहरण की तारीख से अड़तालीस मास के भीतर किया जा सकेगा।''।

धारा 12 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''जब पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की बाबत पूर्व विनिर्देश फाइल कर दिया गया है, तब नियंत्रक आवेदन और उससे संबद्ध विनिर्देश'' शब्दों के स्थान पर, ''जब किसी पेटेन्ट के लिए किसी आवेदन की बाबत परीक्षा के लिए कोई अनुरोध धारा 11ख की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन विहित रीति में किया गया है तब नियंत्रक आवेदन और उससे संबंधित विनिर्देश तथा अन्य दस्तावेजों को'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, ''उससे संबद्ध विनिर्देश'' शब्दों के स्थान पर, ''उससे संबंधित विनिर्देश और अन्य दस्तावेज'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''उससे संबद्ध विनिर्देश'' शब्दों के स्थान पर, ''उससे संबंधित विनिर्देश और अन्य दस्तावेज'' शब्द रखे जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, "ऐसा अन्वेषण करेगा जैसा कि नियंत्रक, इस बात को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, निर्दिष्ट करे," शब्दों के स्थान पर, "इस बात को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ अन्वेषण करेगा" शब्द रखे जाएंगे। धारा 13 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"15. जहां नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन या उसके अनुसरण में फाइल किया गया कोई विनिर्देश या कोई अन्य दस्तावेज इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है वहां नियंत्रक यह अपेक्षा कर सकेगा कि आवेदन पर आगे कार्रवाई करने या ऐसा करने में असफल रहने पर आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, यथास्थिति, उस आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेज में उसके समाधानप्रद रूप में संशोधन किया जाए।"। कतिपय दशाओं में आवेदनों को अस्वीकार करने या उनमें संशोधन करने की अपेक्षा करने की नियंत्रक की शक्ति।

13. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 17 का संशोधन।

"(2) जहां किसी आवेदन या विनिर्देश (जिसके अंतर्गत आरेखन भी है) या किसी अन्य दस्तावेज का धारा 15 के अधीन संशोधन किए जाने की अपेक्षा की जाती है वहां यदि नियंत्रक ऐसा निदेश दे तो उक्त आवेदन या विनिर्देश या अन्य दस्तावेज, उस तारीख को जिसको अपेक्षा का अनुपालन किया जाता है या जहां ऐसा आवेदन या विनिर्देश या अन्य दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया जाता है वहां उस तारीख को किया गया समझा जाएगा जिसको वह अपेक्षा का अनुपालन करने के पश्चात् पुन: फाइल किया जाता है।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "जब तक कि उस तारीख से, जिस तारीख को आवेदन या पूर्ण विनिर्देश पर आक्षेपों का प्रथम कथन नियंत्रक द्वारा आवेदक को भेजा जाता है, पन्द्रह मास के भीतर अथवा ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर जो इस धारा के नीचे दिए गए उपबंधों के अधीन अनुज्ञात की जाए," भाग के स्थान पर, "जब तक कि उस तारीख से, जिसको आवेदन या पूर्ण विनिर्देश या उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों पर आक्षेपों का प्रथम कथन नियंत्रक द्वारा आवेदक को भेजा जाता है, बारह मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) में,—

(i) "उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पन्द्रह मास की अवधि के अथवा बढ़ाई गई अवधि के" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "बारह मास की अवधि के" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "यथास्थिति, पन्द्रह मास की उक्त अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि के" शब्दों के स्थान पर "बारह मास की अवधि के" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (4) में "यथास्थिति, पंद्रह मास की अवधि या बढ़ाई गई अवधि को उस अतिरिक्त अवधि के अवसान तक" शब्दों के स्थान पर "बारह मास की अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि तक" शब्द रखे जाएंगे।

15. मूल अधिनियम की धारा 22 के परन्तुक में, "अठारह मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे जाएंगे। धारा 22 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 23 में, "जो उसके अनुसरण में फाइल किए गए हों," शब्दों के स्थान पर "जो उसके अनुसरण में आवेदक द्वारा फाइल किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए हों," शब्द रखे जाएंगे। धारा 23 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 24ग में,— धारा 24ग का संशोधन।

(क) खंड (ग) में, "धारा 85" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 84" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) धारा 84 की उपधारा (7) के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा।"।

धारा 25 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) में खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ञ) पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार के लिए उपयोग किए गए जैव पदार्थ के स्रोत या भौगोलिक मूल का प्रकटन नहीं किया गया है अथवा उसका गलत वर्णन किया गया है,

(ट) पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में जहां तक दावा किया गया है, आविष्कार भारत में किसी स्थानीय या देशी समुदाय के भीतर या अन्यत्र उपलब्ध मौखिक या अन्य जानकारी को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशित है,";

(ख) उपधारा (2) में, "सुनवाई का अवसर देगा" शब्दों के स्थान पर "यदि ऐसी इच्छा व्यक्त की गई हो, तो सुनवाई का अवसर दे सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "खंड (ङ) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए किसी गुप्त उपयोग को विचार में नहीं लाया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "खंड (ङ) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए निजी दस्तावेज या गुप्त विचारण या किसी गुप्त उपयोग को विचार में नहीं लिया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में, "निदेशों में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 36 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) इस प्रश्न पर कि क्या कोई आविष्कार, जिसकी बाबत धारा 35 के अधीन निदेश दिए गए हैं, रक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत बना हुआ है, बारह मास के अंतरालों पर या आवेदक द्वारा किए गए ऐसे अनुरोध पर जो नियंत्रक द्वारा युक्तियुक्त पाया जाए, केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा और यदि ऐसे पुनर्विचार पर केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि आविष्कार का प्रकाशन अब भारत की रक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या किसी विदेशी आवेदक द्वारा फाइल किए गए आवेदन की दशा में यह पाया जाता है कि आविष्कार भारत से बाहर प्रकाशित किया जाता है तो वह तुरंत नियंत्रक को उक्त निदेश का प्रतिसंहरण करने की सूचना देगा और नियंत्रक अपने द्वारा पहले दिए गए निदेशों को प्रतिसंहृत करेगा।"।

नई धारा 39 का अन्त:स्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

रक्षा आदि प्रयोजनों के लिए सुसंगत पेटेंटों के लिए कतिपय परिस्थितियों में आवेदन करने पर प्रतिषेध।

"39. (1) कोई भी व्यक्ति, नियंत्रक द्वारा या उसकी ओर से अनुदत्त किसी लिखित अनुज्ञा के प्राधिकार के अधीन के सिवाय, रक्षा प्रयोजनों के लिए सुसंगत या परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी आविष्कार के लिए कोई पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए भारत के बाहर आवेदन तब तक नहीं करेगा या कराएगा जब तक,—

(क) उसी आविष्कार के पेटेंट के लिए भारत में आवेदन, भारत के बाहर किए गए आवेदन से कम से कम छह सप्ताह पूर्व नहीं कर दिया गया हो; और

(ख) भारत में उस आवेदन के संबंध में, धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन या तो कोई निदेश दिया ही नहीं गया हो या ऐसे सभी निदेशों को प्रतिसंहृत न कर लिया गया हो।

(2) नियंत्रक किसी व्यक्ति को भारत के बाहर आवेदन करने के लिए लिखित अनुज्ञा, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना, नहीं देगा।

(3) यह धारा ऐसे आविष्कार के संबंध में लागू नहीं होगी जिसके लिए संरक्षण हेतु आवेदन पहले भारत के बाहर किसी देश में, भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा फाइल कर दिया गया है।''।

धारा 40 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 40 में, ''उल्लंघन करता है'' शब्दों के पश्चात् ''या धारा 39 का उल्लंघन करके पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए भारत के बाहर आवेदन करता है या कराता है'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 43 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में,—

(क) उपखंड (ग) के अंत में, ''या'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) आवेदन अधिनियम के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन में नहीं पाया गया है,''।

धारा 45 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पेटेन्ट पर वह तारीख डाली जाएगी जिसको पेटेंट के लिए आवेदन फाइल किया गया था।''।

धारा 48 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

25. मूल अधिनियम की धारा 48 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

पेटेंटधारियों के अधिकार।

''48. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों और धारा 47 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किया गया पेटेंट, पेटेंट धारियों को—

(क) जहां पेटेंट की विषय-वस्तु उत्पाद है तो ऐसे तीसरे पक्षकार को जिसने उसकी सहमति नहीं ली है, भारत में उन प्रयोजनों के लिए उस उत्पाद को बनाने, उसका उपयोग करने, विक्रय के लिए प्रस्थापित करने, विक्रय करने या उन प्रयोजनों के लिए आयातित करने के कार्य को निवारित करने का अनन्य अधिकार प्रदत्त करेगा;

(ख) जहां पेटेन्ट की विषय-वस्तु प्रक्रिया है तो ऐसे किसी अन्य पक्षकार को जिसने उसकी सहमति नहीं ली है, भारत में उस प्रक्रिया का उपयोग करने का कार्य करने से और उस प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्षत: अभिप्राप्त किए गए उत्पाद के उन प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करने, विक्रय के लिए प्रस्थापित करने, विक्रय करने या आयात करने का कार्य करने से निवारित करने का अनन्य अधिकार प्रदत्त करेगा:

परन्तु अभिप्राप्त उत्पाद ऐसा उत्पाद नहीं है जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई पेटेन्ट प्रदान नहीं किया जाएगा।''।

धारा 50 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (2) में ''पेटेंटकृत आविष्कार करने, उसका उपयोग, प्रयोग और विक्रय करने का हकदार होगा'' शब्दों के स्थान पर ''धारा 48 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का हकदार होगा'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 53 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 53 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात् अनुदत्त प्रत्येक पेटेन्ट की अवधि, और ऐसे प्रत्येक पेटेंट की अवधि, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख को समाप्त नहीं हुई है और जिसका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, पेटेन्ट के लिए आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से बीस वर्ष होगी।'';

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, नवीकरण के लिए फीस का संदाय न किए जाने के कारण पेटेन्ट अधिकार के समाप्त हो जाने पर या पेटेन्ट की अवधि के पर्यवसान पर उक्त पेटेन्ट के अंतर्गत आने वाली विषयवस्तु किसी भी संरक्षण के लिए हकदार नहीं होगी।"।

धारा 57 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 57 में,—

(क) उपधारा (1) में, "विनिर्देश को" शब्दों के पश्चात्, उन दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं, "या उससे संबंधित किसी दस्तावेज को" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में " या विनिर्देश को" शब्दों के स्थान पर, "या पूर्ण विनिर्देश को या उससे संबंधित किसी दस्तावेज को" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) पेटेन्ट के लिए आवेदन को या पूर्ण विनिर्देश को या उससे संबंधित दस्तावेज को, इस धारा के अधीन संशोधित करने की इजाजत के लिए ऐसे किसी आवेदन का जो पूर्ण विनिर्देश को प्रतिगृहीत कर लेने के पश्चात् किया गया है और प्रख्यापित संशोधन की प्रकृति को राजपत्र में विज्ञापित किया जाएगा यदि संशोधन, नियंत्रक की राय में, सारवान् है।";

(घ) उपधारा (6) में,—

(i) "अपने विनिर्देश को" शब्दों के पश्चात् "या उससे संबंधित किसी दस्तावेज को" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "विनिर्देश के" शब्दों के पश्चात् "आवेदक द्वारा फाइल किए गए अन्य दस्तावेजों के साथ" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 59 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 59 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) पेटेन्ट के लिए आवेदन या पूर्ण विनिर्देश अथवा उससे संबंधित किसी दस्तावेज का कोई भी संशोधन, दावा-त्याग, शुद्धि या स्पष्टीकरण के तौर पर किए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा और उसका कोई भी संशोधन, वास्तविक तथ्य को सम्मिलित किए जाने के प्रयोजन के लिए किए जाने के सिवाय, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और पूर्ण विनिर्देश का कोई भी ऐसा संशोधन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसका यह प्रभाव होता है कि यथा संशोधित विनिर्देश में ऐसी बात का दावा या वर्णन किया जाए जो संशोधन से पहले विनिर्देश में सारत: प्रकट या दर्शित नहीं की गई है या यथा संशोधित विनिर्देश का कोई दावा संशोधन से पहले विनिर्देश के दावे के भीतर पूर्णत: नहीं आता है।";

(ii) उपधारा (2) में,

(क) "जहां पूर्ण विनिर्देश के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख के पश्चात् विनिर्देश का कोई संशोधन" शब्दों के स्थान पर "जहां पूर्ण विनिर्देश तथा उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख के पश्चात्, विनिर्देश या उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का कोई संशोधन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, "विनिर्देश" शब्द के स्थान पर "विनिर्देश तथा उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ख) में, "विनिर्देश" शब्द के स्थान पर "विनिर्देश या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 60 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 60 में,—

(क) उपधारा (1) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अठारह मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

31. मूल अधिनियम की धारा 64 में,— धारा 64 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ख) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ङ) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (च) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (ढ) में "उल्लंघन किया" शब्दों के पश्चात् "है अथवा धारा 39 का उल्लंघन करके, भारत के बाहर पेटेन्ट अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन किया है या करवाया है" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(त) पूर्ण विनिर्देश में आविष्कार के लिए उपयोग में लाए गए जैव पदार्थ के स्रोत या भौगोलिक मूल का प्रकटन नहीं किया गया है या उसका गलत वर्णन किया गया है;

(थ) जहां तक पूर्ण विनिर्देश के किसी दावे में दावा किया गया है, आविष्कार की, भारत में या अन्यत्र किसी स्थानीय या देशी समुदाय के भीतर उपलब्ध मौखिक या अन्यथा जानकारी को ध्यान में रखते हुए, प्रत्याशा थी।";

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में, "इस बात को कि गुप्त उपयोग होता रहा है" शब्दों के स्थान पर, "निजी दस्तावेज या गुप्त परीक्षण या गुप्त उपयोग को" शब्द रखे जाएंगे।

32. मूल अधिनियम की धारा 67 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:– धारा 67 का संशोधन।

"(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह पेटेन्ट के लिए रजिस्टर या उसके किसी भाग को ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रख सके।

1872 का 1। (5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, पेटेन्टों के रजिस्टर की ऐसी प्रति या उससे उद्धरण जिसका नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा उसकी सत्य प्रति होना सत्यापित किया गया है, सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

(6) उस दशा में, जिसमें रजिस्टर पूर्णत: या भागत: कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखा जाता है,–

(क) इस अधिनियम में रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत कम्प्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखी गई प्रविष्टियों के अभिलेख के प्रति निर्देश भी है और जिसमें रजिस्टर या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है;

(ख) इस अधिनियम में किन्हीं विशिष्टियों के, जिनको रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है या जिनकी प्रविष्टि की गई है, प्रति निर्देशों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके अंतर्गत कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रजिस्टर या उसके भाग सहित प्रविष्टियों के अभिलेख रखे जाने के प्रति निर्देश भी हैं; और

(ग) रजिस्टर के परिशोधन के प्रति इस अधिनियम में निर्देशों को इस प्रकार पढ़ा जाएगा जैसे कि उनके अंतर्गत कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखे गए विशिष्टियों के अभिलेख और रजिस्टर या रजिस्टर के किसी भाग के परिशोधन के प्रति निर्देश है।"।

33. मूल अधिनियम की धारा 68 में, "इस अधिनियम के प्रारंभ से या उस दस्तावेज के निष्पादन से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, छह मास के भीतर या कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "उस दस्तावेज के निष्पादन से छह मास के भीतर या कुल मिलाकर छह मास से अनधिक की ऐसी और अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे। धारा 68 का संशोधन।

धारा 72 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) यदि विशिष्टियों का अभिलेख कम्प्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखा जाता है तो उस दशा में उपधारा (1) और उपधारा (2) का अनुपालन किया गया समझा जाएगा जब विशिष्टियों के ऐसे अभिलेख की ऐसी कम्प्यूटर फ्लापियां, डिस्कैटों या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप या प्रिन्ट आउट निरीक्षण के लिए जनता की पहुंच में हों।"।

धारा 73 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) में, "व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे। 1958 का 43 1999 का 47

धारा 76 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 76 में:—

(क) "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार, या अपील बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) और (ख) में, "अथवा भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम, 1911" शब्दों और अंकों का क्रमश: लोप किया जाएगा। 1911 का 2

धारा 78 का संशोधन।

37. मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (1) में, "पूर्ण विनिर्देशों" शब्दों के पश्चात् "या उससे संबंधित अन्य दस्तावेजों" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 80 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 80 में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु सुनवाई की वांछा करने वाला पक्षकार, नियंत्रक को ऐसी सुनवाई के लिए कार्यवाही के संबंध में विनिर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति से कम से कम दस दिन पूर्व निवेदन करे।"।

अध्याय 16 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

39. मूल अधिनियम के अध्याय 16 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 16

पेटेंटों का क्रियान्वयन, अनिवार्य अनुज्ञप्तियां और प्रतिसंहरण

"पेटेन्टकृत वस्तु" और "पेटेन्टधारी" की परिभाषाएं।

82. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पेटेन्टकृत वस्तु" के अंतर्गत ऐसी वस्तु भी है, जिसका निर्माण पेटेन्टकृत प्रक्रिया द्वारा किया जाता है; और

(ख) "पेटेन्टधारी" के अंतर्गत अनन्य अनुज्ञप्तिधारी भी हैं।

पेटेन्टकृत आविष्कारों के क्रियान्वयन को लागू साधारण सिद्धान्त।

83. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अध्याय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में, निम्नलिखित सामान्य बातों का ध्यान रखा जाएगा, अर्थात्:—

(क) पेटेन्ट, आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदत्त किए जाते हैं कि आविष्कार वाणिज्यिक पैमाने पर और पूर्णतम मात्रा में भारत में क्रियान्वित किए जाएं जो असम्यक् विलंब के बिना युक्तियुक्त तौर पर साध्य हैं;

(ख) वे केवल इसलिए अनुदत्त नहीं किए जाते हैं कि वे पेटेन्टधारियों को पेटेन्टकृत वस्तु के आयात के लिए एकाधिकार का उपयोग करने में समर्थ बनाए;

(ग) पेटेन्ट अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, प्रौद्योगिक नवप्रवर्तन के संवर्धन और प्रौद्योगिकी के अंतरण और प्रसार, प्रौद्योगिक ज्ञान के प्रस्तुतकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं के पारस्परिक फायदों के लिए ऐसी रीति में जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए सहायक हो और अधिकारों और बाध्यताओं के संतुलन में योगदान देता है;

(घ) अनुदत्त पेटेन्ट जनस्वास्थ्य और पोषण के संरक्षण में बाधा नहीं डालें और विशेष रूप से भारत के सामाजिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास के लिए अधिक महत्व वाले सैक्टरों में जनता के हित को बढ़ाने के लिए साधन के रूप में कार्य करें;

(ङ) अनुदत्त पेटेन्ट किसी रूप में केन्द्रीय सरकार को जनस्वास्थ्य की संरक्षा के लिए उपाय करने से प्रतिषिद्ध नहीं करते हैं;

(च) पेटेन्ट अधिकार का पेटेन्टधारी या पेटेन्टधारी से पेटेन्ट का हक या हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाता है और पेटेन्टधारी या पेटेन्टधारी से पेटेन्ट का हक या हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसी पद्धतियों का आश्रय नहीं लेता है जो अयुक्तियुक्त रूप से व्यापार को अवरुद्ध करती हैं या प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय अंतरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं;

(छ) पेटेन्ट जनता को युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमतों पर पेटेन्टकृत आविष्कार उपलब्ध कराने के लिए दिए जाते हैं।

अनिवार्य अनुज्ञप्तियां।

84. (1) कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, पेटेन्ट के मुद्रांकन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय नियंत्रक को पेटेन्ट के संबंध में अनिवार्य अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन निम्नलिखित में से किन्हीं आधारों पर कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) पेटेंटकृत आविष्कार की बाबत जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, या

(ख) पेटेंटकृत आविष्कार युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमत पर जनता को उपलब्ध नहीं है, या

(ग) पेटेंटकृत आविष्कार भारत के राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया जाता है।

(2) इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि वह पहले से ही पेटेंट के अधीन अनुज्ञप्ति का धारक है और किसी भी व्यक्ति को, उसके द्वारा चाहे ऐसी अनुज्ञप्ति में या अन्यथा की गई किसी स्वीकृति के कारण अथवा उसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति प्रतिगृहीत कर लेने के कारण यह अभिकथन करने से विबंधित नहीं किया जाएगा कि पेटेंटकृत आविष्कार की बाबत जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं या पेटेंटकृत आविष्कार भारत के राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया गया है या पेटेंटकृत आविष्कार जनता को युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में, आवेदक के हित की प्रकृति को, ऐसी विशिष्टियों के साथ जो विहित की जाएं और उन तथ्यों को जिन पर आवेदन आधारित है, उपवर्णित करने वाला कथन अंतर्विष्ट होगा।

(4) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि पेटेंटकृत आविष्कार की बाबत जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं या पेटेंटकृत आविष्कार भारत के राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया गया है या पेटेंटकृत आविष्कार जनता को युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है तो वह ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा।

(5) जहां नियंत्रक पेटेंटधारी को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए निदेश देता है वहां वह उसके आनुषंगिक रूप में धारा 88 में उपवर्णित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(6) इस धारा के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर विचार करने में नियंत्रक निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा,—

(i) आविष्कार की प्रकृति, वह समय जो पेटेंट के मुद्रांकन के बाद बीत गया हो और आविष्कार का पूर्ण उपयोग करने के लिए पेटेंटधारी या किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पहले से ही किए गए उपाय;

(ii) आविष्कार को जनता की भलाई के लिए क्रियान्वित करने के लिए आवेदक की योग्यता;

(iii) यदि आवेदन मंजूर किया गया होता तो पूंजी की व्यवस्था करने और आविष्कार को क्रियान्वित करने में जोखिम उठाने के लिए आवेदक की सामर्थ्य;

(iv) क्या आवेदक ने पेटेंटधारी से युक्तियुक्त निबंधनों और शर्तों पर अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास उस युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जिसे नियंत्रक ठीक समझे, सफल नहीं हुए हैं:

परंतु यह खंड, राष्ट्रीय आपातस्थिति की दशा में या चरम अत्यावश्यकता की अन्य परिस्थितियों में या सार्वजनिक वाणिज्यिकेतर उपयोग की दशा में; या पेटेंटधारी द्वारा अपनाई गई प्रतियोगितारोधी प्रथाओं के आधार के सिद्ध होने पर लागू नहीं होगा, किंतु आवेदन किए जाने के बाद की बातों को ध्यान में रखना अपेक्षित नहीं होगा।

(7) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाओं को तब पूरा नहीं किया गया समझा जाएगा,—

(क) यदि पेटेंटधारी के, युक्तियुक्त निबंधनों पर अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने से इंकार किए जाने के कारण,—

(i) विद्यमान व्यापार या उद्योग या उसके विकास पर या किसी नए व्यापार या उद्योग की भारत में स्थापना पर या भारत में व्यापार अथवा विनिर्माण करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के व्यापार या उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(ii) पेटेंटकृत वस्तु की मांग पर्याप्त मात्रा में या युक्तियुक्त निबंधनों पर पूरी नहीं की जा रही है; या

(iii) भारत में विनिर्मित पेटेंटकृत वस्तु के निर्यात के लिए बाजार को उस वस्तु का प्रदाय नहीं किया जा रहा है या उसे विकसित नहीं किया जा रहा है; या

(iv) भारत में वाणिज्यिक क्रियाकलापों की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(ख) यदि पेटेंटधारी द्वारा पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने पर या पेटेंटकृत वस्तु या प्रक्रिया के क्रय, भाड़े पर लेने या उपयोग पर अधिरोपित शर्तों के कारण, उन पदार्थों के, जो पेटेंट द्वारा संरक्षित नहीं हैं, विनिर्माण, उपयोग या विक्रय पर या भारत में किसी व्यापार या उद्योग की स्थापना या विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या

(ग) यदि पेटेंटधारी अनन्य अनुदान वापसी, पेटेंट की विधिमान्यता को चुनौतियां दिए जाने को रोकने या बलपूर्वक पैकेज अनुज्ञप्ति देने का उपबंध करने के लिए पेटेंट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने पर शर्त अधिरोपित करता है; या

(घ) यदि पेटेंटकृत आविष्कार भारत के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक पैमाने पर पर्याप्त मात्रा में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है या पूर्णतम मात्रा में ऐसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है जो युक्तियुक्त रूप से साध्य है, या

(ङ) यदि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा विदेश से पेटेंटकृत वस्तु के आयात से पेटेंटकृत आविष्कार के भारत के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक पैमाने पर क्रियान्वयन में रुकावट आ रही है या वह अवरोधित हो रहा है,—

(i) पेटेंटधारी या उसके अधीन होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा; या

(ii) उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रय करने वाले व्यक्तियों द्वारा; या

(iii) ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिनके विरुद्ध पेटेंटधारी अतिलंघन के लिए कार्यवाहियां नहीं कर रहा है या उसने नहीं की हैं।

क्रियान्वित न किए जाने के कारण नियंत्रक द्वारा पेटेंटों का प्रतिसंहरण।

85. (1) जहां किसी पेटेंट के बारे में अनिवार्य अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है वहां केन्द्रीय सरकार या कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, नियंत्रक को, प्रथम अनिवार्य अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के आदेश की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, पेटेंट का इस आधार पर प्रतिसंहरण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा कि पेटेंटकृत आविष्कार को भारत के राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया गया है या पेटेंटकृत आविष्कार की बाबत जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं या पेटेंटकृत आविष्कार जनता को युक्तियुक्त वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन में ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, वे तथ्य जिन पर आवेदन आधारित है, अंतर्विष्ट होंगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आवेदन से भिन्न आवेदन की दशा में, उसमें आवेदक के हित की प्रकृति भी उपवर्णित होगी।

(3) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि पेटेंटकृत आविष्कार की बाबत जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाएं पूरी नहीं की गई हैं या पेटेंटकृत आविष्कार भारत के राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया गया है या पेटेंटकृत आविष्कार जनता को युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमत पर उपलब्ध नहीं है तो वह पेटेंट के प्रतिसंहरण का आदेश कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन का विनिश्चय सामान्यतया नियंत्रक को उसके प्रस्तुत किए जाने के एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

कुछ दशाओं में अनिवार्य अनुज्ञप्तियों आदि के लिए आवेदनों को स्थगित करने की नियंत्रक की शक्ति।

86. (1) जहां, यथास्थिति, धारा 84 या धारा 85 के अधीन आवेदन इस आधार पर कि पेटेंटकृत आविष्कार को भारत के राज्यक्षेत्र में क्रियान्वित नहीं किया गया है या धारा 84 की उपधारा (7) के खंड (घ) में वर्णित आधार पर किया जाता है और नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि जब पेटेंट का मुद्रांकन किया गया था तब से जो समय बीत गया है, वह आविष्कार को वाणिज्यिक पैमाने पर पर्याप्त मात्रा में क्रियान्वित किए जाने के लिए या आविष्कार को पूर्णतम मात्रा में ऐसे क्रियान्वित किए जाने के लिए, जो युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, किसी कारण अपर्याप्त रहा है तो वह आदेश द्वारा, आवेदन की आगे सुनवाई कुल मिलाकर बारह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा जो उसे उस आविष्कार के क्रियान्वित किए जाने के लिए पर्याप्त प्रतीत हो:

परंतु किसी ऐसी दशा में जिसमें पेटेंटधारी यह साबित कर देता है कि पेटेंटकृत आविष्कार का यथापूर्वोक्त क्रियान्वयन आवेदन की तारीख से पूर्व न किए जा सकने का कारण कोई राज्य या केन्द्रीय अधिनियम या उसके अधीन बनाया गया कोई नियम या विनियम था या सरकार का कोई ऐसा आदेश था जो भारत के राज्यक्षेत्र में आविष्कार के क्रियान्वयन के लिए या पेटेंटकृत वस्तुओं के, अथवा ऐसी वस्तुओं के जो उस प्रक्रिया द्वारा या पेटेंटकृत संयंत्र, मशीनरी या साधित्र के उपयोग से बनाई गई है, व्ययन के लिए, शर्त के तौर पर अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित किया गया था, वहां उस स्थगन की, जिसका आदेश इस उपधारा के अधीन किया गया था, अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिसको आवेदन की तारीख से यथासंगणित उस अवधि की समाप्ति होती है, जिसके दौरान उस आविष्कार का क्रियान्वयन ऐसे अधिनियम, नियम या विनियम या सरकार के आदेश द्वारा रुक गया था।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी स्थगन आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियंत्रक का यह समाधान नहीं हो जाता है कि पेटेंटधारी ने आविष्कार का भारत के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक पैमाने पर और पर्याप्त मात्रा में क्रियान्वयन प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त या युक्तियुक्त कार्रवाई तत्परता के साथ की है।

धारा 84 और धारा 85 के अधीन किए गए आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया।

87. (1) जहां नियंत्रक का, धारा 84 या धारा 85 के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि आदेश करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बन गया है वहां वह आवेदक को यह निदेश देगा कि वह आवेदन की प्रतियों की पेटेन्टधारी पर और ऐसे

किसी अन्य व्यक्ति पर, जो रजिस्टर से उस पेटेन्ट के बारे में हितबद्ध प्रतीत होता है, जिसकी बाबत आवेदन किया गया है, तामील करे और वह आवेदन को राजपत्र में विज्ञापित करेगा।

(2) पेटेन्टधारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो आवेदन का विरोध करना चाहता है, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो नियंत्रक (विहित समय की समाप्ति के या तो पूर्व या पश्चात् किए गए) आवेदन पर अनुज्ञात करे, विरोध की सूचना नियंत्रक को देगा।

(3) विरोध की किसी ऐसी सूचना में कथन अन्तर्विष्ट होगा जिसमें वे आधार उपवर्णित होंगे जिन पर आवेदन का विरोध किया गया है।

(4) जहां विरोध की कोई ऐसी सूचना सम्यक् रूप से दी गई है वहां नियंत्रक आवेदक को अधिसूचित करेगा तथा आवेदक और विरोधकर्ता को मामले का विनिश्चय करने के पूर्व सुनवाई का अवसर देगा।

अनिवार्य अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने की नियंत्रक की शक्तियां।

88. (1) जहां नियंत्रक का धारा 84 के अधीन किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि पेटेन्ट द्वारा संरक्षित न किए गए पदार्थों के विनिर्माण, उपयोग या विक्रय पर, उन शर्तों के कारण, जो पेटेन्टधारी द्वारा पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने पर या पेटेन्टकृत वस्तु के क्रय, भाड़े पर लेने या उपयोग पर या प्रक्रिया पर अधिरोपित की गई है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहां वह, उस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवेदक के उन ग्राहकों को, जिन्हें वह ठीक समझे और आवेदक को, पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने का आदेश कर सकेगा।

(2) जहां धारा 84 के अधीन आवेदन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति का धारक है वहां नियंत्रक, यदि वह आवेदक को अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए आदेश करता है तो, विद्यमान अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने का आदेश कर सकेगा अथवा यदि वह ठीक समझे तो आवेदक को अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए आदेश करने के बजाय, विद्यमान अनुज्ञप्ति को संशोधित किए जाने का आदेश कर सकेगा।

(3) जहां दो या दो से अधिक पेटेन्ट एक ही पेटेन्टधारी द्वारा धारित हैं और अनिवार्य अनुज्ञप्ति का आवेदक यह साबित कर देता है कि जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाएं उक्त पेटेंटों में से कुछ ही पेटेन्टों की बाबत पूरी नहीं की गई हैं वहां, यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उन पेटेन्टों के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति को, पेटेन्टधारी द्वारा धारित अन्य पेटेन्टों का अतिलंघन किए बिना, दक्षता से या समाधानप्रद रूप में क्रियान्वित नहीं कर सकता और यदि उन पेटेन्टों में अन्य पेटेंटों के संबंध में विशेष आर्थिक सार्थकता की महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति अंतर्वलित है तो, वह आदेश द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी को उस पेटेन्ट या उन पेटेन्टों को क्रियान्वित करने के लिए समर्थ बनाने हेतु, जिनकी बाबत धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, अन्य पेटेन्टों की बाबत भी अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने का निदेश दे सकेगा।

(4) जहां अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें नियंत्रक द्वारा तय की गई हैं वहां अनुज्ञप्तिधारी, आविष्कार को वाणिज्यिक पैमाने पर कम से कम बारह मास की अवधि के लिए क्रियान्वित करने के पश्चात् किसी भी समय, नियंत्रक को उन निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि तय किए गए निबंधन और शर्तें उनसे अधिक दुर्धर साबित हुई हैं जो मूलतः प्रत्याशित थीं और उनके परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी हानि उठाए बिना आविष्कार को क्रियान्वित करने में असमर्थ है:

परन्तु ऐसा कोई आवेदन दूसरी बार ग्रहण नहीं किया जाएगा।

अनिवार्य अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त करने के लिए साधारण प्रयोजन।

89. धारा 84 के अधीन किए गए आवेदन के संबंध में नियंत्रक की शक्तियां निम्नलिखित साधारण प्रयोजनों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रयोग की जाएंगी, अर्थात्—

(क) पेटेन्टकृत आविष्कार भारत के राज्यक्षेत्र में असम्यक् विलंब के बिना और पूर्णतम मात्रा में वाणिज्यिक पैमाने पर ऐसे क्रियान्वित किए जाएं जो युक्तियुक्त रूप से साध्य हों;

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में पेटेन्ट के संरक्षण के अधीन आविष्कार को तत्समय क्रियान्वित या विकसित करने वाले किसी व्यक्ति के हितों पर अनुचित रूप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अनिवार्य अनुज्ञप्तियों के निबंधन और शर्तें।

90. (1) धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें तय करने में नियंत्रक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि—

(i) पेटेन्टधारी या पेटेन्ट में फायदा पाने के हकदार अन्य व्यक्ति को आरक्षित स्वामित्व और अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आविष्कार की प्रकृति को, आविष्कार करने में या उसे विकसित करने में और पेटेन्ट अभिप्राप्त करने में और उसे प्रवर्तन में रखने में उपगत व्यय को तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त हैं;

(ii) पेटेन्टकृत आविष्कार उस व्यक्ति द्वारा, जिसको अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, पूर्णतम मात्रा में और उसके युक्तियुक्त लाभ के साथ क्रियान्वित किया जाता है;

(iii) पेटेन्टकृत वस्तुएं जनता को युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमतों पर उपलब्ध की जाती हैं;

(iv) अनुदत्त अनुज्ञप्ति अनन्येतर अनुज्ञप्ति है;

(v) अनुज्ञप्तिधारी का अधिकार समनुदेशनेतर है;

(vi) अनुज्ञप्ति तभी तक पेटेन्ट की शेष अवधि के लिए है, जब तक कि अल्पतर अवधि लोकहित के संगत है;

(vii) अनुज्ञप्ति भारतीय बाजार में प्रदाय करने के प्रधान प्रयोजन के साथ अनुदत्त की जाती है और अर्थचालक प्रौद्योगिकी की दशा में, अनुदत्त अनुज्ञप्ति सार्वजनिक वाणिज्यिकेतर उपयोग के लिए आविष्कार के संबंध में कार्य करने के लिए है और न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के पश्चात् प्रतियोगिता विरोधी के रूप में अवधारित प्रथा के उपचार के लिए अनुदत्त अनुज्ञप्ति की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी को पेटेन्टकृत उत्पाद के निर्यात की अनुज्ञा दी जाएगी।

(2) नियंत्रक द्वारा अनुदत्त कोई भी अनुज्ञप्ति किसी अनुज्ञप्तिधारी को पेटेन्टकृत वस्तु या पेटेन्टकृत प्रक्रिया से बनाई गई किसी वस्तु या पदार्थ को विदेश से आयात करने के लिए इस दशा में, प्राधिकृत नहीं करेगी जिसमें कि ऐसा आयात, यदि ऐसे प्राधिकृत न किया गया होता तो, पेटेन्टधारी के अधिकारों का अतिलंघन होता।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना लोकहित में आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी वह नियंत्रक को किसी भी समय निदेश दे सकेगी कि वह किसी पेटेन्ट के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को पेटेन्टकृत वस्तु या पेटेन्टकृत प्रक्रिया से बनाई गई किसी वस्तु या पदार्थ को विदेश से आयात करने के लिए (ऐसी शर्तों के अधीन जो वह, अन्य बातों के साथ, पेटेन्टधारी को देय स्वामित्व और अन्य पारिश्रमिक, यदि कोई हो, आयात की मात्रा, आयात की गई वस्तु की विक्रय कीमत और आयात-अवधि के संबंध में अधिरोपित करना आवश्यक समझे) प्राधिकृत करे और तब नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

संबंधित पेटेन्टों का अनुज्ञापन।

91. (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, पेटेन्ट के मुद्रांकन के पश्चात् किसी भी समय, कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य पेटेन्टकृत आविष्कार को या तो उसके पेटेन्टधारी के नाते या उसके, अनन्य या अन्यथा, अनुज्ञप्तिधारी के नाते क्रियान्वित करने का अधिकार रखता है, नियंत्रक को प्रथम उल्लिखित पेटेन्ट की अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन इस आधार पर कर सकेगा कि उसको ऐसी अनुज्ञप्ति के बिना अन्य आविष्कार को दक्षतापूर्वक या सर्वोत्तम संभव लाभ के साथ क्रियान्वित करने में रुकावट होती है या अवरोध होता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियंत्रक का यह समाधान नहीं हो जाता कि--

(i) आवेदक, पेटेन्टधारी को और उसके अनुज्ञप्तिधारियों को, यदि वे ऐसा चाहते हैं तो, अन्य आविष्कार की बाबत युक्तियुक्त निबंधनों पर अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए या अनुज्ञप्ति अनुदत्त कराने के लिए समर्थ और इच्छुक है; तथा

(ii) अन्य आविष्कार ने भारत के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्रियाकलापों के स्थापन या विकास में पर्याप्त योगदान दिया है।

(3) यदि नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) में वर्णित शर्तें आवेदक द्वारा पूरी कर दी गई हैं तो वह प्रथमवर्णित पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करते हुए आदेश, ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, कर सकेगा तथा अन्य पेटेन्ट के अधीन वैसा ही आदेश, यदि प्रथमवर्णित पेटेन्ट के स्वत्वधारी या उसके अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा निवेदन किया गया हो तो, कर सकेगा:

परन्तु यह कि नियंत्रक द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति, सिवाय संबंधित पेटेन्टों के समनुदेशन के, समनुदेशनेतर होगी ।

(4) धारा 87, धारा 88, धारा 89 और धारा 90 के उपबंध इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 84 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्तियों को लागू होते हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचनाओं पर अनिवार्य अनुज्ञप्तियों के लिए विशेष उपबंध।

92. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय आपात परिस्थितियों या नितांत अत्यावश्यकता की परिस्थितियों या सार्वजनिक वाणिज्यिकेतर उपयोग की दशा में प्रवृत्त किसी पेटेन्ट के बारे में यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यक है कि अनिवार्य अनुज्ञप्तियां उनके मुद्रांकन के पश्चात् किसी भी समय आविष्कार या आविष्कारों के क्रियान्वयन के लिए अनुदत्त की जानी चाहिएं तो वह राजपत्र में उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगी और तब निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात्:--

(i) नियंत्रक, अधिसूचना के पश्चात् किसी भी समय किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर आवेदक को पेटेन्ट के अधीन अनुज्ञप्ति ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, अनुदत्त करेगा;

(ii) इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को तय करने में नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पेटेन्ट के अधीन विनिर्मित वस्तुएं जनता को ऐसी निम्नतम कीमतों पर उपलब्ध होंगी जो पेटेन्टधारियों को उनके पेटेन्ट अधिकारों से उचित फायदा मिलने से संगत हों।

(2) धारा 83,धारा 87, धारा 88, धारा 89 और धारा 90 के उपबंध इस धारा के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 84 के अधीन अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने के बारे में लागू होते हैं।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियंत्रक का उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी आवेदन पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि,--

(i) राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में; या

(ii) नितांत अत्यावश्यकता की परिस्थिति में; या

(iii) सार्वजनिक वाणिज्यिकेतर उपयोग की दशा में,

यह आवश्यक है जिसमें अर्जित प्रतिरक्षा कमी के संलक्षण, मानव प्रतिरक्षा कमी के वाइरस, क्षय रोग, मलेरिया या अन्य महामारी से संबंधित लोक स्वास्थ्य संकटावस्थाएं भी हैं, जो, यथास्थिति, उत्पन्न हों या अपेक्षित हों, वहां वह इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए आवेदन के संबंध में धारा 87 में विनिर्दिष्ट किसी प्रक्रिया को लागू नहीं करेगा:

परंतु नियंत्रक, यथासाध्यशीघ्रता से आवेदन से संबंधित पेटेंट के पेटेन्टधारी को धारा 87 के इस प्रकार लागू न होने के बारे में सूचना देगा।

93. इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदत्त किए जाने के लिए कोई आदेश ऐसे प्रवर्तित होगा मानो वह पेटेन्टधारी और अन्य सब आवश्यक पक्षकारों द्वारा निष्पादित ऐसा विलेख हो जिसमें नियंत्रक द्वारा तय किए गए निबंधनों और शर्तों को, यदि कोई हों, सन्निविष्ट करने वाली अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई हो। अनुज्ञप्ति के लिए आदेश का सम्पृक्त पक्षकारों के बीच विलेख के रूप में प्रवर्तित होना।

94. (1) पेटेन्टधारी या पेटेन्ट में हक या हित प्राप्त करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 84 के अधीन अनुदत्त अनिवार्य अनुज्ञप्ति नियंत्रक द्वारा समाप्त की जा सकेगी, यदि वे परिस्थितियां जिनमें अनुज्ञप्ति प्रदान की गई थी अब विद्यमान नहीं हैं और ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति की संभावना भी नहीं है: अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति।

परंतु अनिवार्य अनुज्ञप्तिधारक को ऐसी समाप्ति के प्रति आपत्ति करने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पर विचार करते समय, नियंत्रक इस बात को ध्यान में रखेगा कि उस व्यक्ति के हित पर, जिसे पूर्व में अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई थी, असम्यक् रूप से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।'।

40. मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) का लोप किया जाएगा। धारा 99 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 100 में,— धारा 100 का संशोधन।

(क) उपधारा (3) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी पेटेन्ट के ऐसे किसी उपयोग की दशा में, पेटेन्टधारी को, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में, उक्त पेटेंट के उपयोग के आर्थिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त पारिश्रमिक से अधिक संदत्त नहीं किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (5) में, "जब तक कि सरकार को यह प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा करना लोकहित के प्रतिकूल होगा" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय आपात या नितांत अत्यावश्यकता की अन्य परिस्थितियों या वाणिज्यिकेतर उपयोग की दशा के सिवाय" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (6) में, "उस माल के विक्रय का अधिकार भी होगा" शब्दों के स्थान पर "उस माल के, वाणिज्यिकेतर आधार पर, विक्रय का अधिकार भी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

42. मूल अधिनियम की धारा 101 में,— धारा 101 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "(जिनके अंतर्गत न्यूनतम स्वामित्व के रूप में संदाय भी है)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, "(जिनके अंतर्गत न्यूनतम स्वामित्व के रूप में संदाय भी है)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (3) के खंड (ख) में "जिनके अंतर्गत न्यूनतम स्वामित्व के रूप में संदाय भी है" शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 104क का अंत:स्थापन।

43. मूल अधिनियम की धारा 104 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अतिलंघन से संबंधित वादों की दशा में सबूत का भार।

"104क. (1) किसी पेटेन्ट के अतिलंघन के लिए किसी वाद में, जहां पेटेन्ट की विषय-वस्तु कोई उत्पाद अभिप्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है वहां न्यायालय प्रतिवादी को यह साबित करने का निदेश दे सकेगा कि पेटेंट की गई प्रक्रिया के उत्पाद के समरूप उक्त उत्पाद अभिप्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया पेटेंट की गई प्रक्रिया से भिन्न है यदि,—

(क) पेटेंट की विषय-वस्तु एक नया उत्पाद अभिप्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है; या

(ख) इस बात की अत्यधिक संभावना है कि उक्त प्रक्रिया द्वारा समरूप उत्पाद बनाया जाता है और पेटेंटधारी या उससे उक्त पेटेंट में हक या हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रयुक्त प्रक्रिया का अवधारण करने में युक्तियुक्त प्रयासों के बावजूद असफल रहा है:

परंतु पेटेंटधारी या उससे पेटेंट में हक या हित प्राप्त करने वाला व्यक्ति यह पहले साबित कर देता है कि उक्त उत्पाद पेटेंट की गई प्रक्रिया द्वारा प्रत्यक्षत: अभिप्राप्त उत्पाद के समरूप है।

(2) इस बारे में विचार करते समय कि किसी पक्षकार ने उपधारा (1) के अधीन उस पर अधिरोपित भार का निर्वहन किया है अथवा नहीं, न्यायालय उससे कोई विनिर्माण या वाणिज्यिक गुप्त बातों को प्रकट करने की अपेक्षा नहीं करेगा यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना अनुचित होगा।"।

नई धारा 107क का अंत:स्थापन।

44. मूल अधिनियम की धारा 107 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय कार्यों को अतिलंघन न मानना।

"107क. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) भारत में या भारत से भिन्न किसी अन्य देश में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपेक्षित विकास और सूचना के प्रस्तुत किए जाने के संबंध में युक्तियुक्त रूप से उपयोगों के लिए एक मात्र पेटेन्ट किए गए आविष्कार के करने, उसकी संरचना करने, उपयोग करने या विक्रय करने का कोई कार्य जो किसी उत्पाद के विनिर्माण, संरचना, उपयोग या विक्रय को विनियमित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति से, जो पेटेंटधारी द्वारा उक्त उत्पाद का विक्रय या वितरण करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत है, पेटेन्ट किए गए उत्पादों का आयात,

पेटेंट अधिकारों का अतिलंघन नहीं माना जाएगा।"।

धारा 108 का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 108 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) न्यायालय यह भी आदेश कर सकेगा कि ऐसा माल जो अतिलंघनकारी पाया जाता है और ऐसी सामग्री और उपकरण जिनका प्रधान उपयोग अतिलंघनकारी माल के सृजन में होता है, बिना किसी प्रतिकर के संदाय के अभिगृहीत, समपहृत कर लिए या नष्ट कर दिए जाएंगे, जैसा न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।"।

धारा 112 का लोप।

46. मूल अधिनियम की धारा 112 का लोप किया जाएगा।

अध्याय 19 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन।

47. मूल अधिनियम के अध्याय 19 के स्थान पर, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 19

अपील बोर्ड को अपीलें

1999 का 47

अपील बोर्ड।

116. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 83 के अधीन स्थापित अपील बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील बोर्ड होगा और उक्त अपील बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग करेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील बोर्ड के तकनीकी सदस्य के पास उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होंगी।

(2) कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब उसने—

(क) इस अधिनियम के अधीन नियंत्रक का पद कम से कम पांच वर्ष तक धारण किया हो या इस अधिनियम के अधीन कम से कम पांच वर्ष तक नियंत्रक के कृत्यों का प्रयोग किया हो; या

(ख) कम से कम दस वर्ष तक रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता के रूप में कृत्य किया हो और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या विज्ञान में मास्टर डिग्री या इसके समतुल्य डिग्री रखता हो; या

(ग) कम से कम दस वर्ष तक पेटेंट और डिजाइन से संबंधित विधि व्यवसाय में साबित विशेषज्ञ अनुभव के साथ अधिवक्ता रहा हो।

अपील बोर्ड के कर्मचारिवृंद।

117. (1) केन्द्रीय सरकार अपील बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और अपील बोर्ड को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह उचित समझे।

(2) अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

(3) अपील बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन अपील बोर्ड के अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन उस रीति से करेंगे जो विहित की जाए।

अपील बोर्ड को अपीलें।

117क. (1) उपधारा (2) में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी विनिश्चय, आदेश या जारी निदेश से अथवा ऐसे विनिश्चय, आदेश या निदेश को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ नियंत्रक के किसी कार्य या आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 25, धारा 27, धारा 28, धारा 51, धारा 54, धारा 57, धारा 60, धारा 61, धारा 63, धारा 66, धारा 69 की उपधारा (3), धारा 78, धारा 84 की उपधारा (1) से उपधारा (5), धारा 85, धारा 88, धारा 91, धारा 92 और धारा 94, के अधीन नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार के किसी विनिश्चय, आदेश या निदेश से कोई अपील, अपील बोर्ड को होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विहित प्ररूप में होगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए, तथा उसके साथ उस विनिश्चय, आदेश या निदेश की एक प्रति होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है और उतनी फीस होगी जो विहित की जाए।

(4) प्रत्येक अपील नियंत्रक या केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति, विनिश्चय, आदेश या निदेश की तारीख से तीन मास के भीतर या उतने और समय के भीतर को जाएगी जो अपील बोर्ड, उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, अनुज्ञात करे।

अपील बोर्ड की प्रक्रिया और शक्तियां।

117ख. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 84 की उपधारा (2) से उपधारा (6), धारा 87, धारा 92, धारा 95 और धारा 96 के उपबंध अपील बोर्ड को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन को लागू होते हैं। 1999 का 47

न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन।

117ग. धारा 117क की उपधारा (2) या धारा 117घ में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को कोई अधिकारिता, शक्तियां या प्राधिकार नहीं होगा या वह उनका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अपील बोर्ड के समक्ष परिशोधन आदि के लिए आवेदन के लिए प्रक्रिया।

117घ. (1) धारा 71 के अधीन अपील बोर्ड को रजिस्टर के परिशोधन के लिए किया गया आवेदन उस प्ररूप में होगा जो विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम के अधीन पेटेंट से संबंधित अपील बोर्ड के प्रत्येक आदेश या निर्णय की एक प्रमाणित प्रति बोर्ड द्वारा नियंत्रक को संसूचित की जाएगी और नियंत्रक बोर्ड के आदेश को प्रभावी करेगा और निदेश दिए जाने पर, उक्त आदेश के अनुसार रजिस्टर की प्रविष्टियों में संशोधन करेगा या रजिस्टर का परिशोधन करेगा।

विधिक कार्यवाहियों में नियंत्रक की हाजिरी।

117ङ. (1) नियंत्रक को निम्नलिखित में हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा--

(क) अपील बोर्ड के समक्ष किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें ईप्सित अनुतोष में रजिस्टर का परिवर्तन या परिशोधन सम्मिलित है अथवा जिसमें पेटेंट कार्यालय के व्यवहार से संबंधित कोई प्रश्न उठाया गया हो;

(ख) पेटेंट के अनुदान के लिए किसी आवेदन पर नियंत्रक के किसी आदेश से अपील बोर्ड को किसी अपील में--

(i) जिसका विरोध नहीं किया गया हो तथा नियंत्रक द्वारा उक्त आवेदन नामंजूर किया गया हो, या किन्हीं संशोधनों, उपांतरणों, शर्तों या परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, स्वीकार किया गया हो, या

(ii) जिसका विरोध किया गया हो और नियंत्रक यह समझता है कि उसकी हाजिरी लोकहित में आवश्यक है,

और नियंत्रक किसी मामले में, यदि अपील बोर्ड द्वारा वैसा निदेश दिया जाए, हाजिर होगा।

(2) जब तक कि अपील बोर्ड अन्यथा निदेश न दे, नियंत्रक हाजिर होने के बजाय उसके द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें विवाद्यकाधीन विषय से संबंधित उसके समक्ष कार्यवाहियों की या उसके द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय के आधारों की, या ऐसे ही मामलों में पेटेंट कार्यालय की पद्धति की या विवाद्यकों से सुसंगत और उसकी जानकारी में के अन्य विषयों की जिन्हें नियंत्रक आवश्यक समझे, ऐसी विशिष्टियां होंगी जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसा कथन कार्यवाही में साक्ष्य होगा।

अपील बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों में नियंत्रक के खर्चे।

117च. अपील बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में नियंत्रक के खर्चे बोर्ड के विवेकानुसार होंगे किन्तु नियंत्रक को किसी पक्षकार को खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश नहीं दिया जाएगा।

लंबित कार्यवाहियों का अपील बोर्ड को अंतरण।

117छ. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नियंत्रक के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील के सभी मामले और रजिस्टर के परिशोधन से संबंधित सभी मामले उस तारीख से अपील बोर्ड को अंतरित कर दिए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए और अपील बोर्ड ऐसे मामले में या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिससे वह अंतरित किया गया है, कार्यवाही करेगा।

अपील बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति।

117ज. अपील बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष की सभी कार्यवाहियों के संबंध में उनकी प्रक्रिया संचालन के बारे में, इस अधिनियम से सुसंगत नियम बना सकेगा।''।

48. मूल अधिनियम की धारा 118 में, "अनुपालन नहीं करेगा" शब्दों के पश्चात् "या धारा 39 के उल्लंघन में पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन करेगा या करवाएगा" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 118 का संशोधन।

49. मूल अधिनियम की धारा 120 में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 120 का संशोधन।

50. मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) में "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 122 का संशोधन।

51. मूल अधिनियम की धारा 123 में,— धारा 123 का संशोधन।

(क) "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

52. मूल अधिनियम की धारा 125 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी:— धारा 125 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"125. (1) नियंत्रक, एक रजिस्टर रखेगा जो पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्टर कहलाएगा, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य सुसंगत विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, दर्ज की जाएंगी जो धारा 126 के अधीन अपने नामों को इस प्रकार दर्ज कराने के लिए अर्हित हैं। पेटेन्ट अभिकर्ताओं का रजिस्टर।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह पेटेन्ट अभिकर्ताओं के रजिस्टर को ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखे।"।

53. मूल अधिनियम की धारा 126 में,— धारा 126 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) में,—

(अ) "किसी विश्वविद्यालय से कोई उपाधि" शब्दों के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में उपाधि" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) उपखंड (ii) के अंत में "या" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ii) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) उसने, दस वर्ष से अन्यून की कुल अवधि तक धारा 73 के अधीन परीक्षक के रूप में कार्य किया हो या उसने नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन किया हो अथवा दोनों कार्य किए हों किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय ऐसी किसी हैसियत में न रहा हो;";

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति जो पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत रहा है, पेटेन्ट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकृत बने रहने या जब पुन: रजिस्टर कराना अपेक्षित हो तो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा।"।

54. मूल अधिनियम की धारा 128 में,— धारा 128 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में "उपधारा (2) के उपबंधों के और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

धारा 130 का संशोधन।

55. मूल अधिनियम की धारा 130 में,—

(क) ''केन्द्रीय सरकार'' शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं, ''नियंत्रक'' शब्द रखा जाएगा,

(ख) उपधारा (1) में, ''हटा सकेगी'' शब्दों के स्थान पर ''हटा सकेगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 132 का संशोधन।

56. मूल अधिनियम की धारा 132 में,—

(क) खंड (क) में, ''या किसी व्यक्ति को जो पेटेन्ट अभिकर्ता नहीं है और आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) में, ''किसी विनिर्देश का प्रारूप बनाने से अन्यथा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में भाग लेने से'' शब्दों के स्थान पर, ''नियंत्रक के समक्ष ऐसे पक्षकार की ओर से जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में भाग ले रहा है, किसी सुनवाई में भाग लेने से'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 133 का संशोधन।

57. मूल अधिनियम की धारा 133 के अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''देश'' के अंतर्गत देशों का समूह या संघ अथवा अंतर-शासनात्मक संगठन भी है।'।

धारा 138 का संशोधन।

58. मूल अधिनियम की धारा 138 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''भीतर देगा'' शब्दों के पश्चात् ''जब नियंत्रक द्वारा अपेक्षा की जाए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, ''उस विनिर्देश या दस्तावेज के साथ उपाबद्ध किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, ''नियंत्रक द्वारा अपेक्षा किए जाने पर दिया जाएगा'' शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(4) भारत को अभिहित करने वाली पेटेन्ट सहयोग संधि के अधीन फाइल किए गए किसी अंतरराष्ट्रीय आवेदन का, यथास्थिति, धारा 7, धारा 54 और धारा 135 के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन फाइल किए जाने का प्रभाव होगा और अंतरराष्ट्रीय आवेदन में फाइल किए गए, यदि कोई हों, दावे, विवरण, दावा तथा उद्धरण और आरेखणों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्ण विनिर्देश समझा जाएगा।

(5) पेटेंट के लिए आवेदन और ऐसा पूर्ण विनिर्देश जिसपर अभिहित कार्यालय के रूप में पेटेन्ट कार्यालय द्वारा कार्यवाही की गई है, फाइल किए जाने की तारीख को पेटेन्ट सहयोग संधि के अधीन दी गई अंतरराष्ट्रीय आवेदन फाइल करने की तारीख समझा जाएगा।

(6) भारत को अभिहित करने वाले या अंतरराष्ट्रीय तलाश प्राधिकारी या प्रारंभिक जांच प्राधिकारी के समक्ष भारत को अभिहित या अभिहित और चयनित करने वाले किसी अंतरराष्ट्रीय आवेदन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधन, यदि कोई हो, यदि आवेदक द्वारा ऐसी वांछा की जाए तो पेटेन्ट कार्यालय के समक्ष किया गया संशोधन समझा जाएगा।''।

धारा 140 का संशोधन।

59. मूल अधिनियम की धारा 140 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (iii) के उपखंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) अनन्य अनुदान वापसी, पेटेन्ट की विधिमान्यता और प्रपीड़क पैकेज अनुज्ञापन के प्रति चुनौतियों के निवारण का उपबंध करने का हो,'';

(ख) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा।

60. मूल अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (1) में, "चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् की गई हो," शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 141 का संशोधन।

61. मूल अधिनियम की धारा 142 में,— धारा 142 का संशोधन।

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जहां पेटेन्ट कार्यालय में दस्तावेज फाइल करने के संबंध में कोई फीस देय है, वहां फीस दस्तावेज के साथ या विहित समय के भीतर संदत्त की जाएगी और यदि फीस का संदाय ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है तो यह समझा जाएगा कि दस्तावेज कार्यालय में फाइल नहीं किया गया है।;";

(ख) उपधारा (4) में, "अवधि के भीतर" शब्दों के पश्चात्, "या उतनी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अभिलेखन की तारीख से नौ माह के पश्चात् की न हो," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

62. मूल अधिनियम की धारा 143 में, "प्रकाशित नहीं किए जाएंगे और न वे धारा 23 के अनुसरण में आवेदन के प्रतिग्रहण के विज्ञापन की तारीख से पूर्व किसी समय लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे" शब्दों के स्थान पर "आवेदन की तारीख या आवेदन की पूर्विकता की तारीख से अठारह मास से पूर्व अथवा उनके लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाने से पूर्व धारा 23 के अनुसरण में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे" शब्द रखे जाएंगे। धारा 143 का संशोधन।

63. मूल अधिनियम की धारा 157क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 157क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'157क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, — भारत की सुरक्षा का संरक्षण।

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी पेटेन्ट योग्य आविष्कार या पेटेन्ट अनुदान करने से संबंधित किसी आवेदन की बाबत कोई ऐसी जानकारी प्रकट नहीं करेगी जिसे वह भारत की सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली समझती है;

(ख) राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जारी करके कोई ऐसी कार्रवाई, जिसके अंतर्गत किसी पेटेन्ट का प्रतिसंहरण भी है, करेगी, जो वह भारत की सुरक्षा के हित में आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "भारत की सुरक्षा" पद के अंतर्गत भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक कोई ऐसी कार्रवाई है—

(i) जो विखंडनीय सामग्री से संबंधित है जिससे वह व्युत्पन्न होती है; या

(ii) जो आयुध, गोला-बारूद और युद्ध के उपकरणों में दुर्व्यापार से और ऐसे अन्य माल तथा सामग्री के ऐसे दुर्व्यापार से संबंधित है, जो किसी सैनिक स्थापन को प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किया जाता है; या

(iii) जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विषय में युद्ध के समय या अन्य आपातकाल में की जाती है।'।

64. मूल अधिनियम की धारा 159 की उपधारा (2) में— धारा 159 का संशोधन।

(क) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(ia) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक द्वारा दिए जाने वाले ब्यौरे;

(ख) धारा 11ख की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन की जांच का अनुरोध करने की रीति;';

(ख) खंड (iii) में ''रीति'' शब्द के पश्चात् ''और समय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) खंड (ix) में ''रखा जाना'' शब्दों के पश्चात् ''और ऐसे रजिस्टर को कंप्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखे जाने में पालन किए जाने वाले रक्षोपाय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(घ) खंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(xiiक) धारा 117 की उपधारा (2) के अधीन अपील बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें और वह रीति जिसमें उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन अपील बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे;

(xiiख) धारा 117क की उपधारा (3) के अधीन अपील करने के लिए प्ररूप, उसके सत्यापन की रीति और उसके साथ संदेय फीस;

(xiiग) धारा 117घ की उपधारा (1) के अधीन अपील बोर्ड को किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप और उसमें सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियां;'';

(ङ) खंड (xiv) में ''वह रीति जिसमें पेटेन्ट अधिकर्ताओं का रजिस्टर रखा जा सके'' शब्दों के स्थान पर ''वह रीति जिसमें धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन पेटेन्ट अधिकर्ताओं का रजिस्टर रखा जा सकेगा और ऐसे पेटेंट अधिकर्ताओं के रजिस्टर को उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन कम्प्यूटर फ्लापियों, डिस्कैटों या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक प्ररूप में रखे जाने में पालन किए जाने वाले रक्षोपाय'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

धारा 161 का लोप।

65. मूल अधिनियम की धारा 161 का लोप किया जाएगा।

धारा 162 का संशोधन।

66. मूल अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (2) और उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने दि पेटेन्ट्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2002 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Patents (Amendment) Act, 2002 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND2935OLW—08.12.2003.